आरडब्ल्यूए पार्श्वनाथ पैराडाइस की मेंटिनेंस कमेटी की रिपोर्ट

आज दिनांक 28 नवंबर 2025 को आरडब्ल्यूए के ऑफिस में 5:30 बजे मेंटेनेंस कमेटी की बैठक हुई जिसमे श्री डी एम शर्मा, श्री धीरज भार्गव , श्री पी सी अग्रवाल ,श्री संजय शुक्ला एवं श्री शिरीष पांडे तथा मैंने भाग लिया।

मैंटिनेंस से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिनमे इन तथ्यों का भी ध्यान रखा गया कि कौन कौन सी कॉमन सुविधाएँ सोसायटी द्वारा दी जा रही है या व्यावहारिक रूप से दी जा सकती है। सभी सदस्यों ने विभिन्न बिंदुओं पर अपने अपने विचार रखे तथा उनसे होने वाले फायदे तथा नुकसान पर भी चर्चा हुई। विशेष रूप से यह तथ्य भी ध्यान में रखे गए की सोसायटी में डिफॉल्टर्स की संख्या से में बढ़ोतरी न हो ना ओर मेनटेनेंस में भी कमी न आए बल्कि रिकवरी में बढ़ोतरी हो। तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

1- वर्तमान में जैसाआरडब्ल्यूए प्रत्येक मकान के हिसाब से ₹1000 ले रही है उसी प्रकार से मेंटेनेंस चलता रहेगा।
2- मेंटिनेंस हेतु देय , मकान/ फ्लैट की यूनिट- संपत्ति की रजिस्ट्री के आधार पर मानी जाएगी । उदाहरण स्वरूप यदि एक व्यक्ति दो फ्लैट का स्वामी है अर्थात उस की दो रजिस्ट्रियां है तो वह दो यूनिट अर्थात किसी₹2000 मेनटेनेंस अदा करेगा।
3- यदि किसी भवन स्वामी ने एक प्लॉट ले कर उस पर मंज़िलों का निर्माण किया है तो वह एक यूनिट मानी जाएगी परंतु यदि उनमें से किसी को किराये पर देता है तो किराये वाली मंजिल का किरायेदार भी ₹1000 मेंटिनेंस अदा करेगा।
4- जो डिफॉल्टर हैं अथवा जो संपत्तियाँ बंद पड़ी है और इस कारण डिफ़ॉल्ट में हे, उनके मेंटेनेंस में कोई छूट देय नहीं होगी । उनके संबंध में उनके स्वामी, देय धनराशि को, जैसा पूर्ववत चल रहा है, ,उसी प्रकार अदा करेंगे।

S.P. Singh
सुख पाल सिंह 01/12/2025
अध्यक्ष मेनटेनेंस कमेटी

Encls.
Screenshot of Report made by Sri Shirish Pandey on his Mobile & sent on my mobile WhatsApp.

Shirish
Shirish Pandey.
A-105-F.F.

Sanjay Shukla
(Sanjay Shukla)

(PC Agarwal)

(DM SHARMA)

(Dheeraj Bhargav)

(No subject)

From: SP Singh (sukhpaal@gmail.com)

To: spscin@yahoo.co.in

Date: Wednesday, 21 January 2026 at 05:01 pm IST

4:56
增，4G+.ull
大
《
November 30, 2025
MOM- Maintenance Charges
1- Maintenance charges shall be applicable Rs 1000/- p.m. as per current practice RWA is doing.2-Consideration/measurement would be as per Registration of property, if there is 2 property in the name of single owner then Rs 2000/- shall be applicable as maintenance charges.
3-In case, Property owner has rented out another unit of same property/building then Tenant will pay Rs 1000/-p.m.as maintenance charges.
4- For Defaulters & closed properties, there would be no relaxation in maintenance charges, they have to pay complete balance payment as applicable.
6:37 PM
January 1, 2026
仓
Forwarded
V
Message